

भूखामी/भूखामियों को कृषि विभाग में सीधे सीधे प्रयोजनों के लिए सम्पत्तियों द्वारा भूमि कस किया जाने हेतु निर्धारित किया जावे।
महाराष्ट्र, १९७०।

यह सम्पत्ती पत्र आज दिनांक वर्ष को निम्न भूखामी/भूखामियों को सम्पत्ति का/के पूर्ण स्वामी है/हैं
जिसे आगे में उल्लिखित किया गया है और निम्नलिखित अंशों में एतद्वारा वर्णित किया गया है अर्थात्:

१. रामाग्रप	पुत्र श्री	उर्फ	अंश	५५
२. लालजी	पुत्र श्री	उर्फ	अंश	५५
३. लालजी	पुत्र श्री	उर्फ	अंश	५५
४. लालजी	पुत्र श्री	उर्फ	अंश	५५

- प्रथम पक्ष (1) एतद्वारा भूखामी कहा गया है और भारत सरकार के राष्ट्रपति/भारत सरकार के माध्यम से कार्य कर रहे (कय निकाय का नाम)
- द्वितीय पक्ष (2) से एतद्वारा "कय निकाय" कहा गया है। को मध्य एतदनुसार हस्ताक्षरित / निर्धारित किया गया है।
चूंकि उल्लिखित। यथावत भूमि को सम्पत्ति देय दर तथा कुल भूमि मूल्य पर सहमत है/हैं जिसका विवरण अनुसूची में दिया गया है।
और चूंकि भूखामी अमेरार सहमत है/हैं कि अनुसूची में वर्णित भूखामी कोई बात या भूखामी किसी चीज से स्थायी रूप से सम्बन्ध
संगी बाँटें कय निकाय को पूर्ण अनुमोदन से वापस ली जा सकेगी।
अतएव अब भूखामी और कय निकाय से एतदनुसार-भिन्न प्रकार सहमत होता है होते है।
- (1) यह कि कय निकाय इस सम्पत्ती पत्र के निष्पादन की शिथि से अधिकतम 12 माह के भीतर अनिवार्य अर्जम को बिना कार्यवाही करने में सहमत होगा।
- (2) यह कि कय निकाय भूमि का सुरक्षित कब्जा लेना आवश्यक सम्पत्ती है तो यह/ वे ऐसा करने का हक्कार होगा/होगे, माने ही इस पर फरारता खड़ी हो, परन्तु यह कि अनुसूची में वर्णित "दर और कुल भूमि मूल्य" का भुगतान कर दिया हो।
- (3) यह कि यदि कुल भूमि मूल्य को पश्चात यह प्रकट होता है कि भूखामी इस सम्पत्ती पत्र के कय में निर्धारित विक्रय विलेख के अनुसार प्रतिशत के सम्पूर्ण धनराशी का /के अन्वय रूप से हक्कार नहीं है/हैं, और कय निकाय के ओर से किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रतिशत का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है तो भूखामी द्वारा ऐसी धनराशी जो कय निकाय द्वारा अवधारित की जाय मांग निरं जाने पर वापस कर देगा और किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा किसी दाने या प्रतिशत या उससे भाग के निम्न कय निकाय/सम्पत्ति सन्धार को (संयुक्त और पृथक्) क्षतिपूर्ति भी करेगा और उदायी पक्ष किसी भी क्षति या भुगतान की सभी कथनाओं और दावियों के विरुद्ध उसे / उनके भुगतान के कारण कय निकाय द्वारा उपगत किसी प्रकार या व्यय को भरी धनराशी को उसे / उनके भुगतान के कारण कय निकाय द्वारा उपगत किसी प्रकार या व्यय की भरी धनराशी पर प्रथम दर्जे के लिये 9 प्रतिशत के दर पर और पश्चात 11 वर्षों के लिए 15 प्रतिशत की दर पर व्याज भुगतान करेगा/करेंगे।
- (4) यदि भूखामी पुनर्प्राप्ति पैरा में उल्लिखित धनराशी कय निकाय को वापस करने में अशक्य रहता है/ रहते है तो कदोकार के माध्यम से उसे भूखामी के कथाने के रूप में वसूल करने या ऐसी धनराशी को वसूली के लिये प्रवृत्त किसी विधि कि अधीन कार्यवाही करने का /अपेक्षा हैने का पूरा अधिकार होगा।
- (5) यदि अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सरकारी देय/अंश/ प्रिमियम भूखामी द्वारा देय है या किसी विस्तृत सरकारी का अण भगत भूमि के निम्न कहाया है तो सरा धनराशी को कुल भूमि मूल्य की धनराशी से कटौती करके शेष धनराशी का भुगतान भूखामी को किया जायेगा।
- (6) कय निकाय और भूखामी को मध्य हस्ताक्षरित इस सम्पत्ती पत्र के अनुमोदन के उपरान्त आवश्यक विक्रय विलेख का निष्पादन किया जायेगा जिसका प्रतीकरण/निर्देशन सम्बन्धी रूपस्त शुल्क जितने स्टाम्प शुल्क भी सम्मिलित है को कय निकाय द्वारा व्यय सहन किया जायेगा।
- (7) विक्रय विलेख के निष्पादन के दिनांक पर ही सम्पत्ति भूखामी से अनुसूची-1 में वर्णित भूमि का कब्जा कय निकाय द्वारा प्राप्त किया जायेगा।
- (8) कय निकाय द्वारा निम्नलिखित आगामों पर इस सम्पत्ती पत्र को भूखामी को 15 दिन का नोटिस देकर निरस्त किया जा सकेगा।
- (1) यदि भूखामी ने सम्पत्ती पत्र को कपट पूर्ण वास्तव करके सम्पत्ति कराया है।
- (2) यदि भूखामी के द्वारा सम्पत्ती पत्र के किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है।
- (3) यदि इस सम्पत्ती पत्र के निष्पादन के उपरान्त यह प्रकट होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि का स्वामित्व भूखामी में नहीं है।

 *लालजी*

 *लालजी*

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
आजमगढ़

लालजी

विश्वजीत राय
उप मुख्य कार्यकारी
उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस
विकास प्राधिकरण

भूस्वामी/भूस्वामियों को कृषि निष्काय में योग्य भूमि उपलब्धता के लिए सम्पत्ति के द्वारा भूमि कय किया जाये। ऐसे निष्काय किया जाने पर सम्पत्ति का मूल्य।

यह सम्पत्ति पत्र आज दिनांक 8/9/15 को 2015 को निम्न भूस्वामी/भूस्वामियों को सम्पत्ति का/के पूर्ण स्वामी है/हैं निम्ने आगे की तस्वीर दिखा गया है और निम्नलिखित अंशों में एतद्वारा वर्णित किया गया है अर्थात्:

- (1) रमेश पुत्र श्री भीर अंश 1/3
- (2) रिजेश पुत्र श्री भीर अंश 1/3
- (3) चन्द्रकाम पुत्र श्री भीर अंश 1/3

प्रथम पक्ष (निम्न एतद्वारा भूस्वामी कहा गया है) और

भारत सरकार के सम्पत्ति/भारत सरकार के माध्यम से कार्य कर रहे (कय निष्काय का नाम)

द्वितीय पक्ष (निम्न एतद्वारा "कय निष्काय" कहा गया है) को मध्य एतद्वारा हस्ताक्षरित / निष्कायित किया गया है।

चूंकि उल्लिखित पक्षों के बीच भूमि के स्वामित्व के दायरे का कुल भूमि मूल्य पर सहमत है/हैं जिसका विवरण अनुसूची में दिया गया है और चूंकि भूस्वामी अंग्रेज शासन है/हैं, कि अनुसूची में वर्णित भूस्वामी कोई बात या भूस्वामी किसी भी चीज से स्थायी रूप से सम्बद्ध नहीं है/हैं कय निष्काय को पूर्ण अनुमोदन से वापस ली जा सकती है।

अतएव अब भूस्वामी और कय निष्काय से एतद्वारा निम्न प्रकार सहमत होता है होते हैं।

(1) यह कि कय निष्काय इस सम्पत्ति पत्र के निष्पादन की शर्तों से अधिकतम 12 माह के भीतर अनिवार्य अर्जन को बिना कार्यवाही करने में सक्षम होगा।

(2) यह कि यदि कय निष्काय भूमि का मूल्य कय लेना आवश्यक समझता है तो यह/वे ऐसा करने का हकदार होगा/होगे, यदि ही इस का कय लेना सही हो, परन्तु यह कि अनुसूची में वर्णित "दर और कुल भूमि मूल्य" का भुगतान कर दिया हो।

(3) यह कि यदि कुल भूमि मूल्य के पश्चात् यह प्रकट होता है कि भूस्वामी इस सम्पत्ति पत्र के काम में निष्कायित विक्रय विलेख के अनुसार प्रतिशत के सम्पूर्ण धनराशि का /के अन्तर्गत रूप से हकदार नहीं है/हैं, और कय निष्काय के ओर से किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रतिशत का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है तो भूस्वामी द्वारा ऐसी धनराशि, जो कय निष्काय द्वारा अधिभारित की जाय, मांग में जाने पर वापस कर देगा और किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा किसी दाये या प्रतिशत या उसका भाग के निष्काय कय निष्काय/सम्पत्ति पत्र को (अनुसूची और पृथक्) क्षतिपूर्ति भी करेगा और सक्षम भी किसी भी क्षति या भुगतान की गयी धनराशि पर उसे / उनको भुगतान के कारण कय निष्काय द्वारा उपगत किसी प्रकार का व्यय की प्रथम वर्ष के निम्न 9 प्रतिशत के दर पर और पश्चात् वर्षों के लिए 15 प्रतिशत की दर पर व्याज भुगतान करेगा/करेंगे।

(4) यदि भूस्वामी भुवि की पैदा में उल्लिखित धनराशि कय निष्काय को वापस करने में असफल रहता है/रहते हैं तो कलेक्टर के माध्यम से उसे भूस्वामी के कय के रूप में वसूल करने या ऐसी धनराशि को वसूली के लिये प्रयुक्त किसी विधि की अधीन कार्यवाही करेगा/करेंगे।

(5) यदि अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सरकारी देय/अंश/प्रिमियम भूस्वामी द्वारा देय है या किसी वित्तीय संस्था का ऋण भूस्वामी के निष्काय का है तो उसे धनराशि को कुल भूमि मूल्य की धनराशि से कटौती करके शेष धनराशि का भुगतान भूस्वामी को किया जायेगा।

(6) कय निष्काय और भूस्वामी के मध्य सम्बन्धित इस सम्पत्ति पत्र के अनुमोदन के उपरान्त आवश्यक विक्रय विलेख का निष्पादन किया जायेगा जिसका पंजीकरण/निष्पादन सम्बन्धी लागू शुल्क जिसमें स्टाम्प शुल्क भी सम्मिलित है को कय निष्काय द्वारा व्यय करने किया जायेगा।

(7) विक्रय विलेख के निष्पादन के दिनांक पर ही सम्पत्ति भूस्वामी से अनुसूची-1 में वर्णित भूमि का कय कय निष्काय द्वारा प्राप्त किया जायेगा।

(8) कय निष्काय द्वारा निम्नलिखित आगमों पर इस सम्पत्ति पत्र को भूस्वामी को 15 दिन का नोटिस देकर निरस्त किया जा सकेगा।

(1) यदि भूस्वामी ने सम्पत्ति पत्र को कय पूर्ण कय करके सम्पत्ति कराया है।

(2) यदि भूस्वामी के द्वारा सम्पत्ति पत्र के किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है।

(3) यदि इस सम्पत्ति पत्र के निष्पादन के उपरान्त यह प्रकट होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि का स्वामित्व भूस्वामी में नहीं है।



चन्द्रकाम

किनेश निवाडे

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग

(विश्वजीत राय)
उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी
उत्तर प्रदेश एकस्रोत नैसर्गिक
विकास प्राधिकरण (यूपाड)

श्रीमेश वशि
सुनीता देवी

भूस्वामी/भूस्वामियों के कय निम्नलिखित चीजें को प्रयोगों के लिए समझीते द्वारा भूमि काय किया जाने हेतु निर्धारित किया जाने परा संपत्ति। पत्र।

यह समझीता पत्र आज निम्नलिखित चीजें को निम्नलिखित अर्थों में एतद्वारा वर्णित किया गया है अर्थात्:

(1) उत्तर	भूमि श्री	रुग्ग	अंश	४५
(2) रश्मि	भूमि श्री	भीर	अंश	४५
(3) निवेश	भूमि श्री	भीर	अंश	४५
(4) परामर्श	भूमि श्री	भीर	अंश	४५

- प्रथम पक्ष (रि) एतद्वारा भूस्वामी कहा गया है।
- भारत सरकार के साक्षरों द्वारा भारत सरकार के प्राप्तिपत्रों काय कर रहे हैं। (कय निम्नलिखित का भाग)
- द्वितीय पक्ष (रि) एतद्वारा "कय निम्नलिखित" कहा गया है। को कय एतद्वारा हस्ताक्षरित / निर्धारित किया गया है।
- चूंकि उत्तिरित पक्षों में संपत्ति देय दस्तावेजों में भूमि मूल्य / अंश निर्धारित है / है जिसका विवरण अनुसूची में दिया गया है।
- और चूंकि भूमि भी संपत्ति है / है कि अनुसूची में वर्णित भूबद्ध कोई बात या भूबद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से सम्बद्ध सभी बातें कय निम्नलिखित के पूर्ण अनुमोदन से वापस जा सकते हैं।
- अतएव अब भूस्वामी और कय निम्नलिखित एतद्वारा निम्न प्रकार सहमत हैं।
- (1) यह कि कय निम्नलिखित इस समझीता पत्र के निष्पादन की दिशि से अधिकतम 12 माह के भीतर अनिवार्य अर्जन के बिना कार्यवाही करने में सक्षम होगा।
- (2) यह कि कय कय निम्नलिखित भूमि का भूस्वामी कय लेना आवश्यक समझता है तो यह / वे ऐसा करने का हकदार होगा / होंगे, भले ही इस पर फरार सखी हो, परन्तु यह कि अनुसूची में वर्णित "दर और कुल भूमि मूल्य" का भुगतान कर दिया हो।
- (3) यह कि कय कुल भूमि मूल्य के परभाव यह प्रकट होता है कि भूस्वामी इस समझीता पत्र के कम में निर्धारित विकय वित्तीय के अनुसार प्रतिशत के सम्पूर्ण धनराशी का / के अग्रिम रूप से हकदार नहीं है / है, और कय निम्नलिखित के ओर से किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रतिशत का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है तो भूस्वामी द्वारा ऐसी धनराशी, जो कय निम्नलिखित द्वारा अधिधारित की जाय भाग में जाने पर वापस कर देगा और किसी अन्य व्यक्ति / व्यक्तियों द्वारा किसी दाने या प्रतिशत या उसके भाग के निम्न कय निम्नलिखित / कय निम्नलिखित को (संयुक्त और पृथक्) क्षतिपूर्ति भी करेंगे और सखी नहीं किसी भी क्षति या भुगतान की राशि का भुगतान और क्षतिपूर्ति के विरुद्ध उसे / उनके भुगतान के कारण कय निम्नलिखित द्वारा उपगत किसी प्रकार का व्यय की गयी धनराशी पर उसे / उनके भुगतान के कारण कय निम्नलिखित द्वारा उपगत किसी प्रकार का व्यय की गयी धनराशी पर प्रथम तर्ज के बिना 9 प्रतिशत के दर पर और परभाव 10 वर्षों के लिए 15 प्रतिशत की दर पर व्याज भुगतान करेगा / करेंगे।
- (4) यदि भूस्वामी भुविटी पैरा में उल्लिखित धनराशी कय निम्नलिखित कय निम्नलिखित को वापस करने में असफल रहता है / रहते हैं तो कलेक्टर के माध्यम से उसे भूस्वामी के कय के रूप में सखी करने या ऐसी धनराशी को सखी के लिए प्रवृत्त किसी विधि कि अधीन कार्यवाही करेगा / करेगा देने का पूरा अधिकार होगा।
- (5) यदि अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सरकारी देय / अंश / प्रिमियम भूस्वामी द्वारा देय है या किसी वित्तीय संस्था का ऋण सखी भूमि के विरुद्ध सखी है तो उस धनराशी को कुल भूमि मूल्य की धनराशी से कटौती करके सखी धनराशी का भुगतान भूस्वामी को किया जायेगा।
- (6) कय निम्नलिखित और भूस्वामी के मध्य हस्ताक्षरित इस समझीता पत्र के अनुमोदन के उपरान्त आवश्यक विकय वित्तीय का निष्पादन किया जायेगा जिसका पंजीकरण / निवेदन सखी सखी शुल्क जिसमें स्टाम्प शुल्क भी सम्मिलित है को कय निम्नलिखित द्वारा व्यय सहन किया जायेगा।
- (7) विकय वित्तीय के निष्पादन के दिनांक पर ही सम्बन्धित भूस्वामी से अनुसूची-1 में वर्णित भूमि का कय कय निम्नलिखित द्वारा प्राप्त किया जायेगा।
- (8) कय निम्नलिखित द्वारा निर्धारित आगामी पर इस समझीता पत्र को भूस्वामी को 15 दिन का नोटिस देकर निरस्त किया जा सकेगा।
- (9) यदि भूस्वामी ने समझीता पत्र को कय पूर्ण वापस करके सम्पदित कराया है।
- (10) यदि भूस्वामी के द्वारा समझीता पत्र के किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है।
- (11) यदि इस समझीता पत्र के निष्पादन के उपरान्त यह प्रकट होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि का स्वामित्व भूस्वामी में नहीं है।



प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग
आजमगढ़



सुरेश



उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी
उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज विकास प्राधिकरण (यू.पी.ए.व.डी.)

भूस्वामी/भूस्वामियों को कय निकाय के बीच से प्रयोक्तृत्व के लिए समझौते द्वारा भूमि कय किये जाने से निवारित किया जाने परमा संवत् 2017

यह समझौता पत्र आज दिनांक 09/07/2017 को निम्न भूस्वामी/भूस्वामियों को सम्पत्ति का/के पूर्ण स्वामी है/हैं जिसे आगे से चर्चित निम्न पृष्ठ है और निम्नलिखित अंशों में एतद्वारा वर्णित किया गया है अर्थात्:

- (1) रामलाल भूस्वामी रामशक्ल अंश 1/2
- (2) रामलाल भूस्वामी रामशक्ल अंश 1/2 (काम)
- (3) भूस्वामी अंश

- प्रथम पक्ष (रामलाल) एतद्वारा भूस्वामी कहा गया है और भारत सरकार के राष्ट्रपति/भारत सरकार के माध्यम से कार्य कर रहे (कय निकाय का नाम)
- द्वितीय पक्ष (रामलाल) एतद्वारा "कय निकाय" कहा गया है। कय एतद्वारा हस्ताक्षरित / निष्पादित किया गया है।
- चूंकि उत्तिष्ठित पक्षकय भूमि को सम्पत्ति देय दर तथा कुल भूमि मूल्य पर सहमत है/हैं जिसका विवरण अनुसूची में दिया गया है और चूंकि भूस्वामी अंतर्गत सहमत है/हैं कि अनुसूची में वर्णित भूखंड कोई बात या भूखंड किसी चीज से रक्षाधीन रूप से सम्बद्ध सभी बातों कय निकाय को पूर्ण अनुमोदन से वापस ली जा सकती।
- अतएव अब भूस्वामी और कय निकाय से एतद्वारा निम्न प्रकार सहमत होता है होते हैं।
- (1) यह कि कय निकाय इस समझौता पत्र के निष्पादन की तिथि से अधिकतम 12 माह के भीतर अनिवार्य अर्जन के बिना कार्यवाही करने में सक्षम होगा।
 - (2) यह कि कय कय निकाय भूमि का सुरक्षा बन्ध लेना आवश्यक समझता है तो यह/वे ऐसा करने का हकदार होगा/होंगे, मने ही इस पर फर्काल नहीं हो, परन्तु यह कि अनुसूची में वर्णित "दर और कुल भूमि मूल्य" का भुगतान कर दिया हो।
 - (3) यह कि यदि कुल भूमि मूल्य के पश्चात् यह प्रकट होता है कि भूस्वामी इस समझौता पत्र के कय में निष्पादित विकय विलेख के अनुसार प्रतिफल के सम्पूर्ण धनराशी का/के अन्वय रूप से हकदार नहीं है/हैं, और कय निकाय के ओर से किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रतिफल का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है तो भूस्वामी द्वारा ऐसी धनराशी, जो कय निकाय द्वारा अधिस्तित की जाय यांग में जाने पर वापस कर देगा और किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा किसी दाने या प्रतिफल या उससे भाग के निम्न कय निकाय/सम्पत्ति को (संयुक्त और पृथक्) क्षतिपूर्ति भी करेगा और सहायी गयी किसी भी क्षति या भुगतान की राशी का भुगतान करेगा और क्षतिपूर्ति के विरुद्ध उसे/उन्हें/उनको भुगतान के कारण कय निकाय द्वारा उपगत किसी प्रकार या व्यय की गयी धनराशी पर प्रथम दर्जे के 10 प्रतिशत के दर पर और पश्चात् 15 वर्षों के लिए 15 प्रतिशत की दर पर व्याज भुगतान करेगा/करेंगे।
 - (4) यदि भूस्वामी पूर्णवर्ती पैसा में उत्तिष्ठित धनराशी कय निकाय को वापस करने में अस्मत् रहता है/रहते हैं तो कलेक्टर के माध्यम से उसे भूस्वामी के सम्पत्ति के रूप में वसूल करने या ऐसी धनराशी को वसूली के लिये प्रयुक्त किसी विधि के अधीन कार्यवाही करने का/अपेक्षा हैने का पूरा अधिकार होगा।
 - (5) यदि अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सरकारी देय/अंश/प्रिगियम भूस्वामी द्वारा देय है या किसी विस्तृत सरथा का कय निकाय भूमि को निम्न कहाया है तो सरा धनराशी को कुल भूमि मूल्य की धनराशी से कटौती करके शेष धनराशी का भुगतान भूस्वामी को किया जायेगा।
 - (6) कय निकाय और भूस्वामी के माध्यम हस्ताक्षरित इस समझौता पत्र के अनुमोदन के उपरान्त आवश्यक विकय विलेख का निष्पादन किया जायेगा जिसका प्रकीकरण/निष्पादन सम्बन्धी समस्त शुल्क जिसमें स्टाम्प शुल्क भी सम्मिलित है को कय निकाय द्वारा व्यय करने किया जायेगा।
 - (7) विकय विलेख के निष्पादन के दिनांक पर ही सम्मिलित भूस्वामी से अनुसूची-1 में वर्णित भूमि का कब्जा कय निकाय द्वारा प्राप्त किया जायेगा।
 - (8) कय निकाय द्वारा निम्नलिखित आगमों पर इस समझौता पत्र को भूस्वामी को 15 दिन का नोटिस देकर निरस्त किया जा सकेगा।
 - (1) यदि भूस्वामी ने समझौता पत्र को कय पूर्ण वापस करके सम्पत्ति कराया है।
 - (2) यदि भूस्वामी के द्वारा समझौता पत्र के किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है।
 - (3) यदि इस समझौता पत्र के निष्पादन के उपरान्त यह प्रकट होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि का स्वामित्व भूस्वामी में नहीं है।

रामलाल

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
आजमगढ़

(विश्वजीत राय)
उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी
उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक
विकास प्राधिकरण (यूपीडा)

भूस्वामी/भूस्वामियों को कृषि निष्ठाता के रूप में प्रोत्साहित करने के लिए सम्बन्धित द्वारा भूमि कय विवेक जारी है। निम्नलिखित किया जाने
गया सम्बन्धित प्रश्न।

यह सम्बन्धित पत्र आज दिनांक 8/12/2017 को निम्न भूस्वामी/भूस्वामियों को सम्पत्ति का/के पूर्ण स्वामी है/हैं
विशेष आगे की लिखित किया गया है और निम्नलिखित अर्थों में एतद्वारा वर्णित किया गया है अर्थात्:

- (1) भोजपुर भूमि श्री उनेल अंश 1/3
- (2) राजा भूमि श्री उनेल अंश 1/3
- (3) इन्दल भूमि श्री उनेल अंश 1/3

- प्रथम पक्ष (1) एतद्वारा भूस्वामी कहा गया है और
भारत सरकार के सम्पत्ति/भारत सरकार के माध्यम से कार्य कर रहे (कय निम्नलिखित का नाम)
द्वितीय पक्ष (2) एतद्वारा भूमि "कय निम्नलिखित" कहा गया है। कय एतद्वारा हस्ताक्षरित/निष्पादित किया गया है।
चूँकि उल्लिखित पक्षकय भूमि को सम्पत्ति देय दर तथा कुल भूमि मूल्य पर सहमत है/हैं जिसका विवरण अनुसूची में दिया गया है,
और चूँकि भूस्वामी अग्रेष्ठ सहमत है/हैं, कि अनुसूची में वर्णित भूस्वामी कोई बात या भूस्वामी किसी चीज से स्थायी रूप से सम्बन्ध
रामों बातों कय विकास को पूर्ण अनुमोदन से वापस ली जा सकेगी।
अतएव अब भूमि और कय निम्नलिखित से एतद्वारा निम्न प्रकार सहमत होता है होते हैं।
(1) यह कि कय निम्नलिखित इस सम्बन्धित पत्र के निष्पादन की तिथि से अधिकतम 12 माह के भीतर अनिवार्य अर्जन को बिना कार्यवाही
करने से सहमत होगा।
(2) यह कि कय कय निम्नलिखित भूमि का पुराना कय्य लेना आवश्यक समझता है तो यह/वे ऐसा करने का हकदार होगा/होगे,
माने ही इस का फलदायी नहीं हो, परन्तु यह कि अनुसूची में वर्णित "दर और कुल भूमि मूल्य" का भुगतान कर दिया हो।
(3) यह कि यदि कुल भूमि मूल्य के पश्चात् यह प्रकट होता है कि भूस्वामी इस सम्बन्धित पत्र के कय में निम्नलिखित विकय विलेख को
अनुसार प्रमाण के सम्पूर्ण धनराशि का/के अंश रूप से हकदार नहीं है/हैं, और कय निम्नलिखित के ओर से किसी अन्य व्यक्ति
को किसी प्रमाण का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है तो भूस्वामी द्वारा ऐसी धनराशि, जो कय निम्नलिखित द्वारा अंशधारित की
जाय पांग में जाने पर वापस कर देगा और किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा किसी दाये या प्रतिफल या उसके भाग के
निम्न कय निम्नलिखित/सम्बन्धित सम्बन्धित को (नियुक्त और पृथक्) क्षतिपूर्ति भी करेगा और उद्योगी नहीं किसी भी क्षति या भुगतान की
गयी धनराशि पर उसे/उनको भुगतान के कारण कय निम्नलिखित द्वारा उपगत किसी प्रकार का व्यय की
प्रथम तर्ज के बिना 9 प्रतिशत के दर पर और पश्चात् 10 वर्षों के लिए 15 प्रतिशत की दर पर व्याज भुगतान करेगा/करेंगे।
(4) यदि भूस्वामी भुविती देय में उल्लिखित धनराशि कय निम्नलिखित को वापस करने में अक्षम रहता है/रहती है तो कलेक्टर के
माध्यम से उसे भूस्वामी के कय के रूप में वापस करने या ऐसी धनराशि को धनराशि के लिये प्रयुक्त किसी विधि की अधीन
कार्यवाही करने का/अपेक्षा देने का पूरा अधिकार होगा।
(5) यदि अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सरकारी देय/अंश/प्रमाण भूस्वामी द्वारा देय है या किसी विस्तृत सन्ध का कय
व्यय भूमि के निम्नलिखित कय है तो उसे धनराशि को कुल भूमि मूल्य की धनराशि से कटौती करके सन्ध धनराशि का भुगतान भूस्व
भी को किया जायेगा।
(6) कय निम्नलिखित और भूस्वामी के कय हस्ताक्षरित इस सम्बन्धित पत्र के अनुमोदन के उपरान्त आवश्यक विकय विलेख का निष्पादन
किया जायेगा जिसका प्रतीकरण/निर्माण सम्बन्धी सन्ध शुल्क जिसमे स्टाम्प शुल्क भी सम्मिलित है को कय निम्नलिखित द्वारा व्यय
सहन किया जायेगा।
(7) विकय निम्नलिखित के निष्पादन के दिनांक पर ही सम्बन्धित भूस्वामी से अनुसूची-1 में वर्णित भूमि का कय्य कय निम्नलिखित द्वारा प्राप्त
विना जायेगा।
(8) कय निम्नलिखित द्वारा निम्नलिखित आगने पर इस सम्बन्धित पत्र को भूस्वामी को 15 दिन का नोटिस देकर निरस्त किया जा
सकता है।
(1) यदि भूस्वामी ने सम्बन्धित पत्र को कय पूर्ण वापस करके सम्पत्ति कराया है।
(2) यदि भूस्वामी के द्वारा सम्बन्धित पत्र के किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है।
(3) यदि इस सम्बन्धित पत्र के निष्पादन के उपरान्त यह प्रकट होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि का स्वामित्व भूस्वामी में नहीं
है।



हस्ताक्षर
प्रमाण

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
आजमगढ़



(विश्वजीत राय)
उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी
उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक
विकास प्राधिकरण (यूपीडा)

भूस्वामी/भूमा मिकी को कय निवाय के बीच भूमा प्रयोगको के निप समझीते हांय भूमि कय किये जाये ऐय सम्पादित किया जाये
नाला समझता पत्र

यह समझीता पत्र आज दिनांक 8/9/17 वर्ष 2017 को निम्न भूस्वामी/भूस्वामियों जो सम्पत्ति का/के पूर्ण स्वामी है/हैं
निरो आगे का लिखित किया गया है और निम्नलिखित अंशों में एतद्वारा वर्णित किया गया है अर्थात्:

- (1) केयय भूमि श्री 2/4/2/2 अंश 1/4
- (2) निवदा भूमि श्री 2/4/2/2 अंश 1/4
- (3) दुधारी भूमि श्री 2/4/2/2 अंश 1/4
- (4) भूमि श्री 2/4/2/2 अंश 1/4

प्रथम पक्ष (निरो एतद्वारा भूस्वामी कहा गया है) (कय निवाय का नाम)
भारत सरकार के माध्यम से कय कर रहे हैं।
द्वितीय पक्ष (निरो एतद्वारा "कय निवाय" कहा गया है) को मध्य एतद्वारा हस्ताक्षरित / निष्पादित किया गया है।
चूंकि उत्तिरिक्त पक्षकय भूमि के सापेक्ष देय दर तथा कुल भूमि मूल्य पर सहमत है/हैं निराकय विवरण अनुसूची में दिया गया है,
और चूंकि भूमा भी अगोचर राहगत है/है कि अनुसूची में वर्णित भूबद्ध कोई बात या भूबद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से सम्बद्ध
सभी बातें कय निवाय को पूर्ण अनुमोदन से वापस ली जा सकती हैं।
अतएव अब भूमा भी और कय निवाय से एतद्वारा निम्न प्रकार राहगत होता है होते हैं।

- (1) यह कि कय निवाय इस समझीता पत्र के निष्पादन की तिथि से अधिकतम 12 माह के भीतर अनिवार्य अर्जन के बिना कार्यवाही करने में सक्षम होगा।
- (2) यह कि यदि कय निवाय भूमि का पुराना कब्जा लेना आवश्यक समझता है तो यह/ वे ऐसा करने का हकदार होगा/होगे, माने ही इस पर फरसत खड़ी हो, परन्तु यह कि अनुसूची में वर्णित "दर और कुल भूमि मूल्य" का भुगतान कर दिया हो।
- (3) यह कि यदि कुल भूमि मूल्य के पश्चात यह प्रकट होता है कि भूस्वामी इस समझीता पत्र के कय में निष्पादित विकय विलेख के अनुसार प्रतिशत के सम्पूर्ण धनराशी का /के अन्वय रूप से हकदार नहीं है/हैं, और कय निवाय के ओर से किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रतिशत का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है तो भूस्वामी द्वारा ऐसी धनराशी, जो कय निवाय द्वारा अवधारित की जाय मांग भिजे जाने पर वापस कर देगा और किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा किसी दावे या प्रतिशत या उसके भाग के निम्न कय निवाय/कय सरकार को (संयुक्त और पृथक्) क्षतिपूर्ति भी करेगा और उदासी गयी किसी भी हानि या भुक्तान की सभी कब्जा, और क्षतिपूर्ति के विरुद्ध उभरे / उभरने भुक्तान के कारण कय निवाय द्वारा उपगत किसी प्रकार या व्यय को गयी धनराशी पर उसे / उनको भुक्तान के कारण कय निवाय द्वारा उपगत किसी प्रकार या व्यय को प्रथम वर्ष के निरो 9 प्रतिशत के दर पर और पश्चात वर्षों के लिए 15 प्रतिशत की दर पर व्याज भुक्तान करेगा/करेंगे।
- (4) यदि भूस्वामी पूर्ववर्ती पैरा में उल्लिखित धनराशी कय निवाय को वापस करने में असफल रहता है/ रहते हैं तो कलेक्टर के माध्यम से उसे भूस्वामी के कय के रूप में वसूल करने या ऐसी धनराशी को वसूली के लिये प्रवृत्त किसी विधि कि अधीन कार्यवाही करेगा /आपेक्षा देने का पूरा अधिकार होगा।
- (5) यदि अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सरकारी देय/अंश/ प्रिगियम भूस्वामी द्वारा देय है या किसी वित्तिय सस्था का ऋण समत भूमि के निम्न कय है तो उस धनराशी को कुल भूमि मूल्य की धनराशी से कटौती करके शेष धनराशी का भुगतान भूमा भी को किया जायेगा।
- (6) कय निवाय और भूस्वामी के मध्य हस्ताक्षरित इस समझीता पत्र के अनुमोदन के उपरान्त आवश्यक विकय विलेख का निष्पादन किया जायेगा निम्न पक्षीकरण/निवेधान सम्बन्धी समस्त शुल्क जिन्हे स्टाम्प शुल्क भी सम्मिलित है को कय निवाय द्वारा व्यय वहन किया जायेगा।
- (7) विकय विलेख के निष्पादन के दिनांक पर ही सम्बन्धित भूस्वामी से अनुसूची-1 में वर्णित भूमि का कब्जा कय निवाय द्वारा प्राप्त विना जायेगा।
- (8) कय निवाय द्वारा निम्नलिखित आगामे पर इस समझीता पत्र को भूस्वामी को 15 दिन का नोटिस देकर निरस्त किया जा सकेगा।
- (1) यदि भूस्वामी ने समझीता पत्र को कय पूर्ण वाहा करके सम्पदित कराया है।
- (2) यदि भूस्वामी के द्वारा समझीता पत्र के किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है।
- (3) यदि इस समझीता पत्र के निष्पादन के उपरान्त यह प्रकट होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि का स्वामित्व भूस्वामी में नहीं है।

विश्वजीत राय
उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी
उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक
विकास प्राधिकरण (यूपी
प्रमाणिकी प्रमाण
प्रमाणिकी प्रमाण

गणेश गोमती अश

(4) यह कि ज. विभाग इस सम्बन्धीत मात्र के विषय दन की निधि से अविक्तपण 12 मास के भीतर अविचार्य अर्जन के बिना कार्यवाही करने में सक्षम होगा।

(3) यह कि यदि कृषि मूल्य के प्रभाव यह प्रत्यक्ष होता है कि प्रत्यापी इस सांझीया पत्र को क्या में विचारपूर्वक विचार विचार के

जाने पाए कि जाने पर आपरा कर देना और किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा किसी दाने या प्रतिफल या उससे भाग को

प्रथम वर्ष के लिए 0 प्रतिशत की दर पर और आगामी वर्षों के लिए 10 प्रतिशत की दर पर प्रत्येक वर्ष का ब्याज वसूल किया जायेगा।

कार्यवाही करने या / अथवा ऐसे काम-परा अधिकांश होना।

पि-पे किन्तु अविभाज्य।

(२) निम्नलिखित विवरणों के आधार पर प्रत्येक स्थिति में उपयुक्त शब्दों का चयन करें।

(ख) कम निवेश वाले निष्पक्षित आगामी पर इस शपथपत्र को गृहवासी को 15 दिन का मोटिरा देकर निरस्त किया जा सकेगा।

(3) यदि इस या ग्रीवा पत्र को विभाजन के माध्यम से प्रसारित किया जाता है।

...the

(विश्वजीत राय)
उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी
उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक
विकास प्राधिकरण (यूपीडा)

प्रमाणित किया जाता है कि इस दस्तावेज़ में उल्लिखित जानकारी सत्य और सही है।

यदि समस्त जानकारी सही है तो यह निम्न भूखाने/भूखानियों को सम्पत्ति के/के पूर्ण स्वामी है/हैं।
 (यदि नहीं है तो कृपया सही जानकारी प्रदान करें)

मोहन राम ११/११/१९८५ अंश ७२५५

अंश ७२५५

अंश ७२५५

- प्रथम पक्ष (यदि एतदनुसार भूखाने का मालिक है) और भारत सरकार के सम्पत्ति/भूखाने के मालिक से कार्य कर रहे (कय विकास का नाम)
- द्वितीय पक्ष (यदि एतदनुसार "कय विकास" कहा गया है) को मध्य एतदनुसार हस्ताक्षरित / निष्पादित किया गया है।
- चूंकि उत्तिष्ठित कय विकास भूमि के अधीन देय दर तथा कुल भूमि मूल्य पर सहमत है/हैं जिसका विवरण अनुसूची में दिया गया है, और चूंकि भूखाने के अधीन देय दर/हैं कि अनुसूची में वर्णित भूखाने कोई बात या भूखाने किसी चीज से रक्षायी रूप से सम्बन्ध राखी जाती कय विकास को पूर्ण अनुमोदन से अपना ली जा सकेगी।
- अतएव अब भूखाने और कय विकास से एतदनुसार निम्न प्रकार सहमत होता है होते है।
- (1) यह कि कय विकास इस सम्पत्ति पत्र के निष्पादन की शिर्षा से अधिकतम 12 माह के भीतर अनिवार्य अर्जन के बिना कार्यवाही करने में सहमत होगा।
 - (2) यह कि कय विकास भूमि का भूखाने कय विकास लेना आवश्यक सम्पत्ति है तो यह/ वे ऐसा करने का हकदार होगा/होंगे, माने ही इस पर भूखाने वाली को भूखाने यह कि अनुसूची में वर्णित "दर और कुल भूमि मूल्य" का भुगतान कर दिया हो।
 - (3) यह कि कय विकास भूमि मूल्य के प्रस्ताव यह पत्र होता है कि भूखाने इस सम्पत्ति पत्र के कय में निष्पादित विकास वित्तों के अनुसार प्रतिमा के सम्पत्ति भूखाने का/के अर्जन रूप से हकदार नहीं है/हैं, और कय विकास के और से किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रतिमा का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है तो भूखाने द्वारा ऐसी भूखाने जो कय विकास द्वारा अधिष्ठात की जाय मांग में जाने पर भूखाने कर देगा और किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा किसी दाने या प्रतिमा या उसके मांग के निष्पाद कय विकास/भूखाने सम्पत्ति को (सम्पत्ति और प्रस्ताव) क्षतिपूर्ति भी करेगा और उद्योगी पक्ष किसी भी क्षति या क्षतिपूर्ति की राशि का भूखाने और भूखाने के विरुद्ध दाय / मांगों भुगतान के कारण कय विकास द्वारा उभगत किसी प्रकार या दाय की गयी भूखाने पर प्रथम तर्ज के बिना प्रतिमा के दर पर और प्रस्ताव की वर्गों के लिए 15 प्रतिशत की दर पर ब्याज भुगतान करेगा/करेंगे।
 - (4) यदि भूखाने भूखाने पैसा में उत्तिष्ठित भूखाने कय विकास को वापस करने में अशक्य रहता है/ रहती है तो कय विकास के माध्यम से उसे भूखाने के कय के रूप में समूल करने या ऐसी भूखाने को वसूली के लिये प्रयुक्त किसी विधि कि अधीन कार्यवाही करेगा/करेंगे।
 - (5) यदि अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सरकारी देय/अंश/ प्रिन्सिपल भूखाने द्वारा देय है या किसी विस्तृत राश्या का अर्जन भूखाने को भूखाने कय विकास है तो उसे भूखाने को कुल भूमि मूल्य की भूखाने से कटौती करके उसे भूखाने का भुगतान भूखाने को भूखाने करेगा।
 - (6) कय विकास और भूखाने को मध्य एतदनुसार हस्ताक्षरित दस्तावेज़ पत्र के अनुमोदन के उपरान्त आवश्यक विकास वित्तों का निष्पादन निम्न जायेगा भूखाने भूखाने/निष्पादन सम्पत्ति समस्त शुल्क जिन्हे स्थापन शुल्क भी सम्पत्ति है को कय विकास द्वारा व्याप्त कराया जायेगा।
 - (7) विकास विकास के निष्पादन के निष्पादन पर ही सम्पत्ति भूखाने से अनुसूची-1 में वर्णित भूमि का कय विकास द्वारा प्राप्त किया जायेगा।
 - (8) कय विकास द्वारा निष्पादित आगमन पर इस सम्पत्ति पत्र के भूखाने को 15 दिन का नोटिस देकर निरस्त किया जा सकेगा।
 - (9) यदि भूखाने में सम्पत्ति पत्र को कय पूर्ण कय करके सम्पत्ति कराया है।
 - (10) यदि भूखाने के द्वारा सम्पत्ति पत्र के किसी भाग का उत्तिष्ठित किया जाता है।
 - (11) यदि इस सम्पत्ति पत्र के निष्पादन में उभगत यह प्रकार होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि का कय विकास भूखाने में नहीं है।

मोहन राम

प्रभागीय निदेशक
 सामाजिक वानिकी प्रभाग
 आजमगढ़

(विश्वजीत राय)
 उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी
 उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक
 विकास प्राधिकरण (यूपीडा)

9/9/2020

20/2

10

प्रथम पक्षा (1) एतदनुसार भारत में एक ही और भारत सरकार के समक्ष भारत सरकार को भारत में कार्य कर रहे..... (कय निकाय का नाम) द्वितीय पक्षा (2) एतदनुसार "कय निकाय" कहा गया है। के गत्य एतदनुसार हस्ताक्षरित / निर्धारित किया गया है। चूंकि उत्तिष्ठित। यथागत भूमि के कानून के तहत वहां वहां भूमि भूतल पर सहमत है / जिसका विवरण अनुसूची में दिया गया है। और चूंकि भूमि भी अनेक राशियां हैं / कि अनुसूची में वर्णित भूबद्ध कोई बात या भूबद्ध भूमि चीज से रखायी रूप से सम्बद्ध राशी बाँटें कय निकाय के पूर्ण अनुमोदन से चलायी जा सकती। अतएव अब भूमि भी और कय निकाय से एतदनुसार-विना प्रकार सहमत होता है होते है। (4) यह कि कय निकाय इन मामलों में मात्र के निष्पन्न की स्थिति से अधिकतर 12 मास के भीतर अनिवार्य अर्जन के बिना कार्यवाही करने में सक्षम होगा। (5) यह कि कय निकाय निम्नलिखित स्थिति में कार्यवाही करेगा।

(2) यह कि यदि कय नियमित भूमि का पूर्ण वकफ होना आवश्यक सम्झता है तो यह/ वे ऐसा करने का हकदार होगा/होंगे।
 (3) यह कि यदि कय भूमि पूर्ण को परचात यह प्रकट होता है कि भूवाणी इस सम्झौता पत्र को कय में निष्पादित विवेक विरोध के अनुसार प्रतिपक्ष को सम्पूर्ण धनराशी का /को अन्धध रूप से हकदार नहीं है/हैं, और कय निकाय को ओर से किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रतिपक्ष का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है तो भूवाणी द्वारा ऐसी धनराशी, जो कय निकाय द्वारा उपभूत की गयी कय भूमि/कय सम्पत्ति को (संयुक्त और पृथक्) क्षतिपूर्ति भी करेगा और उतायी मधी किसी भी क्षति या भूवाणी की गयी धनराशी को उसे / उसको भुगतान के कारण कय निकाय द्वारा उपभूत किसी प्रकार या व्यव की प्रथम वर्ष के दिने 9 प्रतिशत के दर पर और परचात 15 वर्षों के लिए 15 प्रतिशत की दर पर व्याज भुगतान करेगा/करेंगे।
 (4) यदि भूवाणी भूवाणी द्वारा में उल्लिखित धनराशी कय निकाय को वापस करने में असफल रहता है/ रहते हैं तो कलेक्टर के कार्यालय से उसे भूवाणी के कय को जब में वापस करने या ऐसी धनराशी को वापसी के लिये प्रवृत्त किसी विधि कि अधीन कार्यालयी कय को /अपेक्षा है कि का पूरा अधिकार होगा।
 (5) यदि अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सरकारों है/अस/ प्रिन्सिपल भूवाणी द्वारा देय है या किसी विवेक विरोध का कय भूमि को के कय कय है तो इस धनराशी को कुल भूमि मूल्य की धनराशी से कटौत करके रोक धनराशी का भुगतान भूवाणी में किया जायेगा।
 (6) कय निकाय और भूवाणी के कय सम्पत्ति द्वारा सम्झौता पत्र को अनुसूची के उपरान्त आवश्यक विवेक विरोध का निष्पादन किया जायेगा।
 (7) कय निकाय के निष्पादन के दिनांक पर ही सम्पत्ति भूवाणी से अनुसूची-1 में वर्णित भूमि का कय कय निकाय द्वारा प्राप्त करेगा।
 (8) कय निकाय द्वारा निष्पादित आगामी पर इस सम्झौता पत्र को भूवाणी को 15 दिन का नोटिस देकर निरस्त किया जा सकेगा।
 (9) यदि भूवाणी में सम्पत्ति पत्र को कय पूर्ण वकफ करके सम्पत्ति कराया है।
 (10) यदि भूवाणी के द्वारा सम्पत्ति पत्र को किसी धर्म का उल्लेखन किया जाता है।
 (11) यह इस सम्झौता पत्र को निष्पादन में उपरान्त यह प्रकट होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि का कय भूवाणी में नहीं है।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

12

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक दानिकी प्रमाण
आजमगढ

(विश्वजीत राय)
उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी
उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक
विकास प्राधिकरण (यूपीडा)

8/9/17 को 2017 को निम्न भूस्वामी/भूस्वामियों को सम्पत्ति का/के पूर्ण स्वामी है/हैं।
[यदि कोई भूस्वामी/भूस्वामियों को सम्पत्ति का/के पूर्ण स्वामी नहीं है तो उक्त भूस्वामी/भूस्वामियों को सम्पत्ति का/के पूर्ण स्वामी नहीं है।]

वाइलान	दीन	अंश	५५
कुवाघ	दीन	अंश	५५
अपान	दीन	अंश	५५
(५) कुवाघ	दीन	अंश	५५

[illegible]

(4) यह कि जहाँ निम्नलिखित बातें सम्बन्धीत मात्र के विषय में की गिनी रो अधिकतम 12 भाग के भीतर अनिवार्य अर्जन के बिना कार्यवाही करने में सक्षम होगा।

(2) यह कि वह 1000 विद्यार्थी भूमि का स्वामी बने। ऐसा करने का हकदार होगा/होगी, जो 1000 विद्यार्थी भूमि का स्वामी बने।

(3) यह कि माँ के कृपण स्तन दुध को पशुपति राम प्रचट होता है कि दुधवाणी इस सम्पत्ति का पत्र को कम में निष्पादित विकस शिरोछ के अनुसार प्रतिपक्ष को सम्पूर्ण समरशी का / के अन्वय रूप से हक्दार नहीं है / और करान निष्पाद में ओर से विररी अन्य व्यक्ति को किसी प्रतिपक्ष को सम्पत्ति करने की अपेक्षा की जाती है तो भूमिवाणी द्वारा ऐसी धनशरी, जो कय निष्पाद द्वारा अन्वयवित की जायेगी कि / के अन्वय रूप से हक्दार और भी की अन्य व्यक्ति / व्यक्ति को द्वारा विररी दाने या प्रतिपक्ष या चरसके भाग के

[illegible]

(4) यदि भूखण्ड भूगर्भादी पैदा में अस्तिमित धनराशी कथं निबन्ध को वापस करने में अग्रफल रहता है / रहती है तो कलेक्टर के प्राथम से लगे भूखण्ड के बालों के रूप में दायत वक्तने या ऐसी धनराशी का वसूली के लिये प्रयुक्त किररी विधि कि आशीन वर्गवादी कथने या / अग्रफल है न भूख अतिव्यक्त होना।

(iv) यदि अनुसूचित क्षेत्र में अतिरिक्त भूमि पर कोई सरकारी रोड/अड्डा/प्रिमियम भूखामो द्वारा देय है वा किसी विस्तृत सरणी का भाग मान्य भूमि है तो वह अग्रणी है जो सरा मन्त्रालय को कुल भूमि मुल्य की धारणी से कटौती करके रोड धारणी का भुगतान भुक्त रूप में किया जाएगा।

(ii) कथ्य विवरण : नीचे सूचकांकी के माध्यम से प्रकाशित द्वारा सापेक्षता पत्र के अनुवीक्षण के उपरान्त आवश्यक विकस्य विलेख का निष्पादन विनिर्दिष्ट जायेगा । यद्यपि कभीकाल/विशेष सापेक्षी रूपसे शुल्क जिससे स्थापन शुल्क भी सम्मिलित है को कथ्य विकास द्वारा व्यय सहित किया जायेगा ।

(2) विकास निधि के विचारानुसार के दिनांक पर ही सम्बन्धित भूखानों से अनुसूची-1 में वर्णित भूमि का कब्जा कर विकास द्वारा प्राप्त किया जायेगा।

(d) कम निम्नलिखित आधारी पर इसी समझौता पत्र को भूखण्डी को 15 दिन का नोटिस देकर निरस्त किया जा सकेगा।

(1) यदि भूस्वामि ने उक्त भूमा भूत को कबल पूर्ण ढाँचा करके सम्पत्ति कराया है।

(2) यदि भूखण्डों के द्वारा सम्पत्ति का पत्र के किसी वर्ग का संतुलन दिया जाता है।

(3) यदि इस का सीमा मान के विचार्य में उपर्युक्त वह प्रकट होता है कि अनुसूची- 1 में वर्णित भूमि का स्वामित्व भूस्वामी में नहीं है।

03/15/21

② सुलाय

③ रघुबीर

(4)

பெரிய
செய்து

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
आजमगढ़

(विश्वजीत राय)
कार्यपालक अधिकारी
प्रदेश एक्सप्रेस सेवा औद्योगिक
विकास प्राधिकरण (यूपीडी)

हह समझी। मैं आज दिनांक 4/9/17 को निम्न मूरवाणी/मूरवाणियों को सम्पत्ति का/के पूर्ण स्वामी है/हैं
 विशेष आगे में लिखित विषय पृष्ठ है और निम्नलिखित अंशों में एतद्वारा वर्णित किया गया है अर्थात्

121/1 कुमा
पाठ्या 4000 11/12 11/12 11/12

है। अभिप्राय

12/20/2011 11:24 AM

13/3/18

(विश्वजीत राय)
उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी
उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक
विकास प्राधिकरण (यूपीडा)

प्रस्तावित/पुनः विचार के साथ निम्नलिखित चीजें समीक्षा प्रयोगशाला के लिए समझौते द्वारा प्रेषित करने के लिए प्रस्तावित किया गया है।
महाराष्ट्र सरकार, मुंबई

यह समझौता पत्र आज दिनांक 8/9/17 वर्ष 2017 को निम्न भूस्वामी/भूस्वामियों को सम्पत्ति का/के पूर्ण स्वामी है/हैं
 निम्ने आगे वर्णित विषय पत्र है और निम्नलिखित अंशों में एतद्वारा वर्णित किया गया है अर्थात्:

ਮਾਨ ਸ੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਤਰ

(2) हरी (म) पुनः नीति अर्थ ५५

11. हरी पुत्र श्री विनायक अश ५५

प्रथम पक्ष (विपक्ष) एनडीए का मुख्यामी बोल पाया है और
भारत सरकार ने राष्ट्रपति भारत सरकार के माध्यम से कार्य कर रहे हैं। (कय निकाश वग नाम)

द्वितीय ग्रन्थ (१) से एतदग्रचाता "कर्म विनायक" कहा गया है। वे ग्रन्थ एतदनुसार हस्ताक्षरित / निष्पादित किया गया है।

चूँकि उत्त्तिरिण। महात्मास मुनि को साक्षात् देय कर तथा कुल गृहीत गूना पर साहमत है/है जिसका विवरण अनुसूची में दिया गया है। और चूँकि भूत भी अमेतार साहमत है/है, कि अनुसूची के वर्णित मूबद्ध कोई बात या मूबद्ध निररी चीज रो रपायी रूप रो सम्बद्ध सभी बार्त कय निकारय को पुर्द अमूमीदन से गपरा ही जा सकेगी।

अतएव अब पुरानी और नया निम्नाय से एतदुक्त-भिन्न प्रकार-सहाय्य होता है होते हैं।

(1) यह कि न. निवार्य इस मासपत्रिका पात्र के निष्पदन की तिथि से अधिकतम 12 माह के भीतर अनिवार्य अर्जम के बिना कार्यवाही करने में सहाय होगा।

(2) यह कि यदि कस भिन्नता भूमि का सुरक्षा कब्जा लेना आवश्यक समझाता है तो यह/ वे ऐसा करने का हकदार होगा/होंगे, भले ही इस पर फरारता खड़ी हो, परन्तु यह कि अनुसूची में वर्णित "दर और कुल भूमि मूल्य" का भुगतान कर दिया हो।

(3) यह कि यदि कुल भूमि पृथक् के पश्चात् याद प्रकट होता है कि पृथ्वी इस संप्रदायी पत्र को कम से निष्पादित विकेंद्र चित्रों के अनुसार प्रतिपक्ष के सम्पूर्ण समरशी का /के अन्त्य रूप से हकदार नहीं है/और कथन निकाय के ओर से विरही अन्य व्यक्ति को किसी प्रतिपक्ष का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है तो पृथ्वी द्वारा ऐसी धनराशी, जो कथन निकाय द्वारा अध्यापित की जाय गां निरूपित जाने पर वापस कर देगा और किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा विरही दाने या प्रतिपक्ष या उसके भाग के निष्पन्न कथन निकाय/समस्त सम्पत्ति को (संयुक्त और पृथक्) भविष्य में भी करेगा और संप्रदायी मधी विरही भी हाथ या भवसाधन की समस्त कल्याण और व्यक्ति को विरहः समस्त / समस्त भुगतान के कारण अन्य निकाय द्वारा उपगत किसी प्रकार या व्यय को मधी धनराशी पर लगे / लगे भुगतान के कारण कथन निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रसार या व्यय की मधी धनराशी पर प्रथम वर्ष के निम्न ० प्रतिशत के दर पर और पश्चात्ती वर्षों के लिए १० प्रतिशत की दर पर व्याज भुगतान करेगा/करेंगे।

(4) यदि भूखण्ड भूगर्भीय पैरा में उल्लिखित धनराशी का निम्नानुसार का वापस करने में असमर्थ रहता है/ रहती है तो कलक्टर के माध्यम से उसे भूखण्ड के धनराशियों के रूप में वापस करने या ऐसी धनराशी को बचूली के तहत प्रयुक्त किसी विधि कि अधीन कार्यवाही करने का/अवसर देने का पूरा अधिकार होगा।

(6) यदि अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति को सरकारी/अर्ध-सरकारी/प्रिविलिज्ड क्लास द्वारा देय है या विजरी विस्तार सरणा का लाभ प्राप्त भूमि को विक्रय करवाया है तो सरा सनराशी को कुल भूमि मुल्य की धनराशी से कटौती करके शेष धनराशी का भुगतान भूय-पति को करना होगा।

(ii) कचरे निष्कास्य और भूगर्भाधी के मध्य सम्बन्धित इस सम्बन्धिता पत्र के अनुषोदन के उपरान्त आवश्यक विकस्य विलेख का निष्पादन निम्न जायेगा जिसका प्रकीर्णन/निर्गमन सम्बन्धी स्मृति श्रुतक जिसमें स्थापन श्रुतक भी सम्मिलित है को कचरे निष्कास्य द्वारा व्यय करवा किया जायेगा।

(7) विक्रय विभाग के विभागाध्यक्ष के निर्देश पर ही सम्बन्धित भूस्वामी से अनुसूची-1 में वर्णित रूंग का कच्चा कय निकाल कर विक्रय द्वारा प्राप्त किया जायेगा।

(d) क्या निम्नलिखित प्रमाणों पर इस रोगप्रतीति पत्र को भूराजी को 15 दिन का गोपित देखकर निरस्त किया जा सकेगा।

(1) यदि भूस्वामी ने रागशीला भूय को कपट पूर्ण ढाँहा करके सम्पदित कराया है।

(2) यदि गुरुवाले के द्वारा सम्पत्ती का पत्र के किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है

(3) यदि इस शर्त और मूल्य के निष्पादन के उपरान्त यह प्रकट होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि का स्वामित्व भूस्वाधीन है नहीं है।

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग

आजभंगल

(विश्वजीत राय)

उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी
उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक
विकास प्राधिकरण (गुपीडा)

भूस्वामी/भूस्वामियों को अपने भूस्वामि के रूप में अपने स्वामित्व के लिए समझौते द्वारा भूमि का कब्जा करने के लिए निर्धारित किया जाता है।

यह समझौता पत्र आज दिनांक 9/10/2017 को निम्न भूस्वामी/भूस्वामियों को सम्पत्ति का/के पूर्ण स्वामी है/हैं।
जिसने आगे की प्रक्रिया निम्न प्रकार है और निम्नलिखित अंशों में एनक्वैटर वर्णित किया गया है अर्थात्:

- (1) रामजीत भूस्वामी नगेर अंश 42
- (2) उंडा भूस्वामी बनोत अंश 42
- (3) भूस्वामी अंश

- प्रथम पक्ष (विना एतदनुसार भूस्वामी कहा गया है) और भारत सरकार के सम्पत्ति/भारत सरकार के माध्यम से कार्य कर रहे (कय निकाय का नाम)
- द्वितीय पक्ष (विना एतदनुसार "कय निकाय" कहा गया है) को मध्य एतदनुसार हस्ताक्षरित / निर्धारित किया गया है।
- चूंकि उल्लिखित पक्षों के बीच भूमि के सम्पत्ति देय दर तथा कुल भूमि मूल्य पर सहमत है/हैं जिसका विवरण अनुसूची में दिया गया है। और चूंकि भूस्वामी अपेक्षित राहगत है/हैं कि अनुसूची में वर्णित भूबद्ध कोई बात या भूबद्ध भिन्नी चीज से रक्षायी रूप से सम्बद्ध सभी बातों का निकाय को पूर्ण अनुमोदन से वापस ली जा सकती है।
- अतएव अब भूस्वामी और कय निकाय से एतदनुसार निम्न प्रकार सहमत होता है होते हैं।
- (1) यह कि कय निकाय इस समझौता पत्र के निष्पादन की तिथि से अधिकतम 12 माह के भीतर अनिवार्य अर्जन को बिना कार्यवाही करने में सहमत होगा।
 - (2) यह कि कय निकाय भूमि का सुरक्षित कब्जा लेना आवश्यक समझता है तो यह/ वे ऐसा करने का हकदार होगा/होंगे, भले ही इस पर कब्जा रखी हो, परन्तु यह कि अनुसूची में वर्णित "दर और कुल भूमि मूल्य" का भुगतान कर दिया हो।
 - (3) यह कि कय निकाय कुल भूमि मूल्य के पश्चात् यह प्रकट होता है कि भूस्वामी इस समझौता पत्र के कम में निर्धारित विक्रय विलेख के अनुसार प्रतिभार के सम्पूर्ण धनराशी का/के अन्वय रूप से हकदार नहीं है/हैं और कय निकाय के ओर से किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है तो भूस्वामी द्वारा ऐसी धनराशी, जो कय निकाय द्वारा अधोकारित की जाय मांग में जाने पर वापस कर देगा और किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा किसी दाने या प्रतिभार या उराके भाग के निम्न कय निकाय/सम्पत्ति संपत्ति को (भूमिगत और पृथक्) भविष्य में भी करेगा और उरायी गयी किसी भी हानि या भुगतान की सभी कथना, और क्षतिपूर्ति के विरुद्ध उरा/ उनके भुगतान के कारण कय निकाय द्वारा उपगत किसी प्रकार या व्यव की गयी धनराशी पर प्रथम तर्ज के तहत 9 प्रतिशत के दर पर और पश्चात् 10 वर्षों के लिए 15 प्रतिशत की दर पर व्याज भुगतान करेगा/करेंगे।
 - (4) यदि भूस्वामी पूर्ववर्ती पैरा में उल्लिखित धनराशी कय निकाय को वापस करने में असफल रहता है/ रहते हैं तो कलेक्टर के माध्यम से उरा भूस्वामन के कथने के रूप में वसूल करने या ऐसी धनराशी को वसूली के लिये प्रयुक्त किसी विधि कि अधीन कार्यवाही करने का/अपेक्षा देने का पूरा अधिकार होगा।
 - (5) यदि अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सरकारी देय/अंश/ प्रिगियम भूस्वामी द्वारा देय है या किसी वित्तीय संस्था का ऋण भुगतान भूमि के निम्न कथना है तो उरा धनराशी को कुल भूमि मूल्य की धनराशी से कटौती करके शेष धनराशी का भुगतान भूस्वामी को देना होगा।
 - (6) कय निकाय और भूस्वामी को मध्य हस्ताक्षरित द्वारा समझौता पत्र के अनुमोदन के उपरान्त आवश्यक विक्रय विलेख का निष्पादन किया जायेगा जिसका प्रतीकरण/निर्देशन सम्बन्धी समस्त शुल्क जिससे स्टाम्प शुल्क भी सम्मिलित है को कय निकाय द्वारा व्यय करना होगा।
 - (7) विक्रय विलेख के निष्पादन के दिनांक पर ही सम्पत्ति भूस्वामी से अनुसूची-1 में वर्णित भूमि का कब्जा कय निकाय द्वारा प्राप्त करेगा।
 - (8) कय निकाय द्वारा निम्नलिखित आदेशों पर इस समझौता पत्र को भूस्वामी को 15 दिन का नोटिस देकर निरस्त किया जा सकेगा।
 - (1) यदि भूस्वामी ने समझौता पत्र को वापस पुनर्वाह करके सम्पत्ति कराया है।
 - (2) यदि भूस्वामी के द्वारा समझौता पत्र को किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है।
 - (3) यदि इस समझौता पत्र के निष्पादन के उपरान्त यह प्रकट होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि का स्वामित्व भूस्वामी में नहीं है।

सुरेन्द्र
रामजीत

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग

(विश्वजीत राय)
उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी
उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक
विकास प्राधिकरण (यूपीडा)

शुद्ध समझो। यह कार्य दि. ११/१७ को दि. २०/१७ को निम्न भूखण्डी/भूखण्डियों की समझौता कर/ले पूर्ण स्वामी है/है।
निम्न आये हैं निम्न भूखण्डों में से भूखण्डों/भूखण्डों अथवा भूखण्डों/भूखण्डों के द्वारा निर्मित भूखण्डों में अर्थात्

1	वाराह	१५	३०	५०	१०
2	सिंहा	१५	३०	५०	१०

प्रथम पक्ष (1) से एतदनुसार मूल्यवाणी प्राप्त पत्रों को और भारत सरकार के सदस्यों/ भारत सरकार के माध्यम से जारी कर रहे (कय नियम का नाम)

द्वितीय पक्ष (2) से एतदनुसार "कय नियम" कहा गया है। को मध्य एतदनुसार हस्ताक्षरित / निष्पत्ति किया गया है।

चूंकि उत्तिष्ठित। यथागत भूमि को वापस देय दर तथा कुल भूमि मूल्य पर सहमत है / है जिसका विवरण अनुसूची में दिया गया है। और चूंकि भूमि भी अपेक्षित राशियों है / है कि अनुसूची में वर्णित भूखंड कोई बात या भूखंड किसी चीज से रणायी रूप से सम्बन्ध राशी बातें कय नियम को पूर्ण अनुसूची से वापस ली जा सकती है।

अतएव अब भूमि भी और कय नियम से एतदनुसार-निम्न प्रकार सहमत होता है होता है।

(1) यह कि कय नियम इस सम्बन्धी पत्र के निष्पत्ति की तिथि से अधिकतम 12 माह को भीतर अनिवार्य अर्जन को बिना कार्यवाही करने में सक्षम होगा।

(2) यह कि कय नियम भूमि का मूल्य बढ़ाने, आवश्यक सम्बन्ध है तो यह / है ऐसा करने का हक्कदार होगा / होगी, मने ही इस पर सक्षम नहीं है। यद्यपि यह कि अनुसूची में वर्णित "दर और कुल भूमि मूल्य" का पुनर्गणन कर दिया हो।

(3) यह कि यदि कय नियम द्वारा कय नियम को प्रस्तावित यह प्रकट होता है कि भूमि इस सम्बन्धी पत्र के कय में निष्पत्ति विक्रय विवेक को अनुसार प्रतिपक्ष के सम्पूर्ण सम्बन्धों का / को अन्तर्गत रूप से हक्कदार नहीं है / है, और कय नियम को और से किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रतिपक्ष का पुनर्गणन करने की अपेक्षा की जाती है तो भूमिवाणी द्वारा ऐसी धनराशी, जो कय नियम द्वारा अन्वयारित की जाय यांग में जाने पर वापस कर देता और किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा किसी दाने या प्रतिपक्ष या उससे भाग को निष्पत्ति कय नियम/सम्बन्ध सम्बन्ध को (संयुक्त और पृथक्) अतिरिक्त भी करेगा और सक्षम पक्ष किसी भी हानि या नुकसान की राशी का भुगतान और प्रतिपक्ष को विवेक दाने / दाने का पुनर्गणन के कारण कय नियम द्वारा उपगत किसी प्रकार या व्यय की गयी धनराशी को उसे / उसको पुनर्गणन के कारण कय नियम द्वारा उपगत किसी लागत प्रसार या व्यय की गयी धनराशी पर प्रथम वर्ष के लिए 6 प्रतिशत के दर पर और परचायती वर्षों के लिए 15 प्रतिशत की दर पर वाजि पुनर्गणन करेगा/करेगी।

(4) यदि भूमिवाणी पूर्णतः सक्षम में उत्तिष्ठित सम्बन्धी कय नियम को वापस करने में असफल रहता है / शर्तों है तो कलेक्टर को माध्यम से उसे भूमिवाणी के सम्बन्धों के रूप में सक्षम करने या ऐसी धनराशी को अनुसूची के विवेक प्रकृत किसी विधि कि प्राप्ति कार्यवाही करेगा / अपेक्षा है कि पूरा अतिरिक्त होगा।

(5) यदि अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सरकारी देय/अर्ज/ प्रियिमप भूवाणी द्वारा देय है या किसी विविध सक्षम का अन्वय भूमि को है कय नियम है तो सक्षम धनराशी को कुल भूमि मूल्य की धनराशी से कटौती करके सक्षम धनराशी का पुनर्गणन भूखंड भी को किया जायेगा।

(6) कय नियम और भूमिवाणी को मध्य सम्बन्धित इस सम्बन्धी पत्र के अनुसूची के उपरान्त आवश्यक विक्रय विवेक का निष्पत्ति निम्न जायेगा कि सक्षम धनराशी/विवेक सम्बन्धी सक्षम शुल्क जिसमें सक्षम शुल्क भी सम्बन्धित है को कय नियम द्वारा व्यय सक्षम किया जायेगा।

(7) विक्रय विवेक के निष्पत्ति के दिवस पर ही सम्बन्धित भूमिवाणी से अनुसूची-1 में वर्णित भूमि का कय कय नियम द्वारा प्राप्त निम्न जायेगा।

(8) कय नियम द्वारा निष्पत्ति आगमन पर इस सम्बन्धी पत्र को भूमिवाणी को 15 दिन का नोटिस देकर निरस्त किया जा सकेगा।

(9) यदि भूमिवाणी में सम्बन्धित पत्र को कय पूर्ण वर्तमान करके सम्बन्धित कराया है।

(10) यदि भूमिवाणी के द्वारा सम्बन्धी पत्र को किसी शर्त का उत्तिष्ठित किया जाता है।

(11) यदि इस सम्बन्धी पत्र के निष्पत्ति में उपरान्त यह प्रकट होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि का सक्षम भूमिवाणी में नहीं है।

बाला किशुन

रुद्राक्ष

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
आजमगढ़

(विश्वजीत राय)
उत्तर प्रदेश सरकार, अर्थशास्त्रिक अधिकारी
विकास प्राधिकरण (यूनाइटेड)

[illegible][illegible]

प्रभागीय निर्देशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
आजमगढ़

(विश्वजीत राय)
उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी
उत्तर प्रदेश पशु चिकित्सा औद्योगिक
विकास प्राधिकरण (पीओडी)

भूस्वामी/भूस्वामियों को कय निम्नलिखित के बीच से कोई एक विकल्पों के लिए समझौते द्वारा भूमि कय किये जाने हेतु निर्णयित किया जाने जाता है।

यह समझौता पत्र आज दिनांक 4/9/2017 को निम्न भूस्वामी/भूस्वामियों जो सम्पत्ति का/के पूर्ण स्वामी है/हैं जिसे आगे में उल्लिखित किया गया है और निम्नलिखित अंशों में एतद्वारा वर्णित किया गया है अर्थात:

- (1) पत्न्य भूमि श्री लक्ष्मी अंश 627
- (2) भूमि श्री अंश
- (3) भूमि श्री अंश

- प्रथम पक्ष (1) एतद्वारा भूस्वामी कहा गया है और भारत सरकार के राष्ट्रपति/भारत सरकार के माध्यम से कार्य कर रहे (कय निकाय का नाम)
- द्वितीय पक्ष (2) से एतद्वारा "कय निम्नलिखित" कहा गया है) के मध्य एतदनुसार हस्ताक्षरित / निर्णयित किया गया है।
- चूंकि उल्लिखित पक्षों के मध्य भूमि को सम्पत्ति देय दर तथा कुल भूमि मूल्य पर सहमत है/हैं जिसका विवरण अनुसूची में दिया गया है और चूंकि भूस्वामी अंग्रेज सहमत है/हैं कि अनुसूची में वर्णित भूखंड कोई बात या भूखंड किसी चीज से स्थायी रूप से सम्बद्ध सभी बातें कय निकाय के पूर्ण अनुमोदन से वापस ली जा सकती हैं।
- अतएव अब भूस्वामी और कय निकाय से एतद्वारा निम्न प्रकार सहमत होता है होते हैं।
- (1) यह कि कय निकाय इस समझौता पत्र के निष्पादन की शक्ति से अधिकतम 12 माह के भीतर अनिवार्य अर्जन के बिना कार्यवाही करने में सहमत होगा।
- (2) यह कि कय कय निकाय भूमि का सुरक्षा कब्जा लेना आवश्यक समझता है तो यह/वे ऐसा करने का हकदार होगा/होंगे, माने ही इस पर पर्याप्त खर्च हो, परन्तु यह कि अनुसूची में वर्णित "दर और कुल भूमि मूल्य" का भुगतान कर दिया हो।
- (3) यह कि यदि कुल भूमि मूल्य को पश्चात यह प्रकट होता है कि भूस्वामी इस समझौता पत्र के कय में निर्णयित विकय विलेख के अनुसार प्रतिशत के सम्पूर्ण धनराशि का/के अत्यन्त रूप से हकदार नहीं है/हैं, और कय निकाय के ओर से किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रतिशत का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है तो भूस्वामी द्वारा ऐसी धनराशि, जो कय निकाय द्वारा अवधारित की जाय यांग निम्न जाने पर वापस कर देगा और किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा किसी दाने या प्रतिशत या उसके भाग के निम्न कय निकाय/राज्य सरकार को (संयुक्त और पृथक्) क्षतिपूर्ति भी करेगा और स्थायी पक्ष किसी भी हानि या भुगतान की गयी धनराशि पर चर्चे/चर्चों के कारण कय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रभाव या व्यय की गयी धनराशि पर प्रथम वर्ष के लिए 9 प्रतिशत के दर पर और पश्चात 12 वर्षों के लिए 15 प्रतिशत की दर पर व्याज भुगतान करेगा/करेंगे।
- (4) यदि भूस्वामी पूर्णतः तैयार हो उल्लिखित धनराशि कय निम्नलिखित धनराशि कय निम्नलिखित धनराशि को वापस करने में असफल रहता है/रहते हैं तो कदोकर के वर्ज्यवाही करने का/अवैध है के का पूरा अधिकार होगा।
- (5) यदि अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सरकारी देय/अंश/प्रिमियम भूस्वामी द्वारा देय है या किसी वित्तीय संस्था का ऋण प्राप्त भूमि के निम्न कब्जा है तो सरा धनराशि जो कुल भूमि मूल्य की धनराशि से कटौती करके शेष धनराशि का भुगतान भूस्वामी को किया जायेगा।
- (6) कय निकाय और भूस्वामी के मध्य हस्ताक्षरित इस समझौता पत्र के अनुमोदन के उपरान्त आवश्यक विकय विलेख का निष्पादन किया जायेगा जिसका प्रतीकरण/निर्देशन सम्बन्धी रूप से शुल्क जिसमें स्टाम्प शुल्क भी सम्मिलित है को कय निकाय द्वारा व्यय सहित किया जायेगा।
- (7) विकय विलेख के निष्पादन के दिनांक पर ही सम्बन्धित भूस्वामी से अनुसूची-1 में वर्णित भूमि का कब्जा कय निकाय द्वारा प्राप्त किया जायेगा।
- (8) कय निकाय द्वारा निम्नलिखित आदेशों पर इस समझौता पत्र को भूस्वामी को 15 दिन का नोटिस देकर निरस्त किया जा सकेगा।
- (1) यदि भूस्वामी ने समझौता पत्र को कय पूर्ण वापस करके सम्पत्ति कराया है।
- (2) यदि भूस्वामी के द्वारा समझौता पत्र के किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है।
- (3) यदि इस समझौता पत्र के निष्पादन में उपरान्त यह प्रकट होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि का स्वामित्व भूस्वामी में नहीं है।

प्रमाण पत्र

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
आजमगढ़

(विश्वजीत राय)
उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी
उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक
विकास प्राधिकरण (यूपोड)

मृतकाली / मृतकाली को एक निवास के बीच से। प्रत्यक्षता के लिए संपत्ति के द्वारा भूमि का स्थान जारी होना अपेक्षा किया जाये
भाषा संस्कृत । अथवा

यह समझीत पत्र आज दिनांक 4/9/2017 को निम्न भूस्वामी/भूस्वामियों को सम्पत्ति का/के पूर्ण स्वामी है/हैं
जिसे आगे का स्वयंसा विज्ञापन है और निम्नलिखित अंशों में एतद्वारा वर्णित किया गया है अर्थात्:

1. श्री श्री हिंदू गंगा १३२

आमका पुत्री हरिज अशं

12/10/2024 12:10

दिनांक १०/०५/२०२० मूल्यांकन के लिए भेजा गया है और

प्रथम पक्ष (हिंदी) एतद्विषय पर्याप्त कहा गया है। अतः
 भारत सरकार के द्वारा भारत सरकार के कार्यों को कार्य कर रहे हैं। (कय निष्कर्ष का भाग)
 द्वितीय पक्ष (हिंदी) एतद्विषय पर "कय निष्कर्ष" कहा गया है। कय एतद्विषय पर हस्ताक्षरित / निष्कर्षित किया गया है।
 चूंकि उत्तरिण। पक्षकार युक्ति के अनुसार देय कर तथा कुल गुण गुण पर निर्भर है / हैं जिसका विवरण अनुसूची में दिया गया है।
 और चूंकि भूग भी अतः सहमत है / है। कि अनुसूची में वर्णित भूग कोई बात या भूबद्ध विरही चीज से रणायी रूप से सम्बद्ध
 संगी बातें कय निष्कर्ष पर अनुसूची के पक्षों को ला सकते हैं।
 अतएव अब पर भूग और कय निष्कर्ष एतद्विषय पर प्रकार सहमत होता है। होते हैं।

(1) यह कि क. निवासियों के सम्पत्ति के निष्पदन की विधि से अधिनियम 12 गाह के भीतर अनिवार्य अर्जम के बिना कार्यवाही करने में सक्षम होगा।

(2) यह कि यदि कृषि भूमि का उपयोग गैर-कृषि के लिए किया जाता है तो यह / वे ऐसा करने का हकदार होगा / होंगे, भूदान ही इस पर प्रभाव डालेगा कि कृषि भूमि को गैर-कृषि के लिए उपयोग में लाया जा सकता है।

[illegible]

(4) यदि भूराज्य पूर्वावधि पैरा में उल्लिखित धाराशी कय निवाय को वापस करने में अशक्य रहता है / रहती है तो कठोरतः के माध्यम से उसे भूराज्य के कयों को खूब से वसूल करने या ऐसी धाराशी को वसूली के लिये प्रयुक्त किसी विधि कि अधीन वर्तमान की कय / अग्रिम देने का पूरा अधिकार होय।

(6) यदि अनुसार में से वर्णित भूमि पर कोई सरकारी देय/अंश/ प्रिमियम भूस्वामी द्वारा देय है या किसी विस्तृत सरथा का ऋण भवत भूमि को कि कदा कदाया है तो सरा धनराशी और कुल भूमि मुल्य की धनराशी से कटौती करके शेष धनराशी का भुगतान भूस्वामी को किया जायेगा।

(6) कय निकाय और पुस्तकालय के कय समीक्षित इस संग्रहीत पत्र के अनुमोदन के उपरान्त आवश्यक विकय विलेख का निष्पादन किया जायेगा जिसका प्रकीर्णन/वितरण सम्बन्धी सार्वत शुल्क जिससे स्टाम्प शुल्क भी सम्मिलित है को कय निकाय द्वारा व्यापक किया जायेगा।

(7) विक्रय विना : के विभाजन के दिनांक पर ही सम्बन्धित भूखाना की अनुसूची-1 में वर्णित भूगो का कच्चा वस्तु विक्रय द्वारा प्राप्त किया जायेगा।

(ii) कय निवयन द्वारा गिनलिखित आगाने पर इस संप्रतीता पत्र को भूवाणी को 15 दिन का नोटिस देकर निरस्त किया जा सकेगा।

(1) यदि भूस्वामी ने सम्पत्ति मात्र को बचत पूर्ण बनाया करके सम्पत्ति कराया है।
(2) यदि भूस्वामी ने सम्पत्ति मात्र को बचत पूर्ण बनाया करके सम्पत्ति कराया है।

(3) यदि दूर से पत्र लिखा जाये तो लिखना पड़ेगा।

(3) यदि इस का ज्ञान मन के विष्कार के समान ही प्रकट होता है कि अनुसूची- 1 में वर्णित भूमि का स्वामित्व भारतीयों में नहीं है।

समरपन

102 लाल कल नाव
भीजाय

1/20/1938

[illegible]

১৯২০ চাঃ

100 ft
100 ft

১৯৭৭

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
आजमगढ़

(विश्वजीत राय)
उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी
उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक
विकास प्राधिकरण (यूपीडा)